P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राज्य में महिला सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण नीतियों के परिप्रेक्ष्य मे विश्लेषण

मीनाक्षी माहेश्वरी
संजीवनी महाविद्यालय,
राजनीति विज्ञान विभाग,
ब्यावर रोड, अजमेर,
राजस्थान

सारांश

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य की योजनाओं के परिणामस्वरुप महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है एवं आ रहे है। महिलाओं के जीवन स्तर एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सोच की दिशऔर दायरे से भी इन परिवर्तनों को स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। महिलाओं के जीवन एवं उनकी आर्थिक स्थिति में आये अथवा आ रहे परिवर्तनों का प्रभाव तो है, परन्तु इसका विकास में उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं है, जितना की होना चाहिए । अतः आज भी आवश्यकता प्रतीत होती है कि सकारात्मक महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण को केन्द्र में रखकर विभिन्न नीतियों, नियमों एवं कानून का न केवल निर्माण करे अपितु उनका समुचित क्रियान्वयन भी करे ताकि महिलाओं को व्यापक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। सार रुप में कहा जा सकता है कि महिलाओं का बड़ा तबका आज भी बदलाव का पक्षधर है और उनका मानना है कि वर्तमान स्थितियों को बदला जा सकता है। रास्ते चाहे अलग हो लेकिन मंजिल सभी की एक है– महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को बदलना ।

मुख्य शब्द : भूमंडलीकरण के दौर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण।

प्रस्तावना

सामाजिक सुरक्षा का सामान्य उद्देश्य मनो–सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त असमानता, अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न को समाप्त करते हुए उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर व्यतीत करने में सहायता प्रदान करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समाज सतत् प्रयत्नशील रहता है ताकि लोगों को सामाजिक विकास के अपेक्षित अवसर प्राप्त हो सकें, सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय शोषण एवं उत्पीड़न समाप्त हो सकें। लोगों को अच्छे एवं सभ्य समाज के मापदण्डों के अनुकूल जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए अनेक प्रकार की सेवायें सुलभ हो सकें , विभिन्न सामाजिक प्रस्थितियों में उनके संबंध सौहार्दपूर्ण बन सकें तथा उनमें पीडितों एवं वंचितों के कष्टों को दूर करने के लिए उन्हें यथा सम्भव अधिकतम सहायता प्रदान करने हेतु अपेक्षित सकारात्मक मानसिकता विकसित हो सके। अपने इन प्रयास में समाज सामाजिक सुरक्षा हेतु सामाजिक महिला कल्याण नीतियों का प्रतिपादन करता है, योजनाओं का निर्माण करता है, सेवाओं का प्रावधान करता है तथा इनका मूल्यांकन करता है। इस कार्य में समाज स्वस्थ मानसिकता एवं जनमत तैयार करता है, लोगों को जाग्रत करता है संगठित करता है और उन्हें सामाजिक क्रिया मे सम्मिलित करता है। परिणामतः सामाजिक सुरक्षा हेतु अनेक प्रकार की सेवाओं– समाज सेवाओं समाज कल्याण सेवाओं इत्यादि का प्रावधान विशेष रुप से निर्बल वर्गों के लिये किया जाता है।

समाज मे अनेक श्रेणियों एवं वर्गो के लोग एक साथ रहते हुये जीवन व्यतीत करते है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता प्रमुखतः इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक व्यवस्था कितनी संवेदनशील, सजग एवं सक्रिय है। यदि सामाजिक व्यवस्था खुली, न्यायपूर्ण समतामूलक, जीवन्त एवं तर्कसंगत होती है तो लोगों का जीवन अधिक सुखमय एवं शान्तिपूर्ण रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सामान्य रुप से और भारतीय संविधान अंगीकृत किये जाने के तत्पश्चात विशेष रुप से योजनाबद्व प्रयास प्रारम्भ किये गए जिनके अधीन समानता स्वतंत्रता न्याय एवं भ्रातृत्व को सुनिश्चित करने, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा अन्याय शोषण एवं उत्पीड़न को दूर करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों की अनुभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए जिनके परिणामस्वरुप सामाजिक सुरक्षा आयाम समकक्ष आए।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत राज्य में समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व के संवैधानिक आश्वासनो को मूर्त स्वरुप प्रदान करने के लिए समाज में विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों, विशेष रुप से निर्बल एवं शोषण की दृष्टि से अधिक प्रवृत तबका अर्थात महिला वर्ग के लिए समय –समय पर निर्धारित की गई नीतियों, चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा प्रदान की गई सेवाओं जिनके परिणामस्वरुप सामाजिक सुरक्षा के अनेक अवसर उपलब्ध हुए ।[1]

राज्य मे महिला विकास एवं नीतियां

राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के समुचित विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इनमे कुछ कार्यक्रम केन्द्र द्वारा तथा कुछ कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है। कुछ योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :–

महिला चेतना योजना [2]

प्रदेश की महिलाओं में आर्थिक स्वायत्तता लाना ताकि उनके विकास के लिए अन्तर्विभागीय सेवाओं में समन्वय के उद्देश्य से राज्य में महिला चेतना योजना वर्ष 1996–97 में केन्द्र सरकार के सहयोग से आरम्भ की गई। वर्तमान में यह योजना राज्य के आठ जिलों की निम्न दस पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है।

1. गढ़ी (बांसवाड़ा)
2. अरनोद (चितौड़गढ़)
3. सागवाड़ा (डूंगरपुर)
4. बाप (जोधपुर)
5. फलौदी (जोधुपर)
6. जैसलमेर (जैसलमेर)
7. नादौती (सवाईमाधेपुर)
8. बौंली (सवाईमाधोपुर)
9. मालपुरा (टोंक)
10. झाड़ोल (उदयपुर)

सामूहिक सशक्तिकरण की अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम को आगामी वर्षों में सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न चरणों में लागू किया जायेगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागृति पैदा करना, उनका लाभ उठाने हेतु उन्हें शिक्षित करना तथा आय उपार्जित करने की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा तथा जागरुकता के लिए एक अनरवत प्रकिया का विकास करना है। इस उद्देश्य से गांवों मे आंगनबाड़ी स्तर पर महिला चेतना केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिन्हें खण्ड स्तर पर महिला चेतना ब्लॉक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रत्येक महिला चेतना केन्द्र को योजना आरम्भ करने हेतु 5,000/– रुपये का अनुदान दिया गया है। साथ ही महिलाएं स्वयं भी मासिक सहयोग के माध्यम से अंशदान प्रदान कर रही है। उन्हे नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष और कपार्ट जैसी संस्थाओं से ऋण दिलवाये जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। खण्ड स्तर पर किसी एक स्वैच्छिक संस्था को चिन्हित कर उसे 10,000/– रुपये का अनुदान दिया गया है। ताकि वह समूह निर्माण तथा सरलीकरण की प्रक्रिया को दिशा प्रदान कर सके।

महिला शक्ति अवार्ड [3]

महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रोत्साहित एवं प्रशंसित करने हेतु सन् 1996 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को राज्य स्तरीय महिला शक्ति अवार्ड दिये जाने का निर्णय किया गया है। इस पुरस्कार हेतु आवेदन के लिए आवश्यक है कि आवेदनकर्ता को महिला विकास के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो एवं वह राजस्थान राज्य का सद्भावी नागरिक हो। चयन समिति द्वारा महिला विकास/सशक्तिकरण के निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान के आधार पर समग्र मूल्यांकन के पश्चात् पुरस्कार हेतु योग्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा।

1. साक्षरता एवं शिक्षा
2. स्वास्थ्य एवं पोषाहार
3. सामाजिक भेदभाव एवं हिंसा से सुरक्षा
4. रोजगारोत्पादक कार्य
5. किशोर बालिकाओ के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करने हेतु प्रयास,
6. समाज में महिलाओं के स्तर को उन्नत करना।

पुरस्कार के अन्तर्गत ग्यारह हजार रुपये नकद, एक दुशाला एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं अधिक तीन पारिवारिक सदस्यों/परिचारकों हेतु राजकीय नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

महिला राजगीर योजना [4]

महिला राजगीर योजना राजस्थान राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग एवं यूनीसेफ के संयुक्त प्रयासों से राज्य के 10 जिलों मे वर्ष 1997–98 से क्रियान्वितकी गई। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–परम्परागत कार्यों से जोड़कर, जिन कार्यों में पुरुषों का एकाधिपत्य है, उसमें महिलाओं को प्रवेश करवाना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा निर्माण सहकारी समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से महिला समूहों की कार्यदक्षता एवं कार्यक्षमता बढ़ाकर उन्हें नियमित रुप से रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है।

महिलाओं की आयवृद्धि एवं रोजगार की योजना (नौराड़)[5]

महिलाओं के लिए आयवृद्धि एवं रोजगार की परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करने की योजना है। स्वयंसेवी संस्थाओं से इस हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है तथा राज्य सरकार की अनुशंशा के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु प्राप्त 45 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाते है। वर्ष 1997–98 से फरवरी 2001 तक कुल 50 प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेशित किये गये ।

महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) [6]

इस योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, जयपुर को इस योजना से अब तक राशि रुपये 7.26 करोड़ का अनुदान स्वीकृत

हो गया है। इसके अन्तर्गत उनके द्वारा राज्य को 10 जिलों अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, पाली, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा, चूरु, उदयपुर में महिला डेयरी संघ संचालित है।

इस कार्यक्रममें ना केवल दुग्ध उत्पादन एवं विपणन के माध्यम से पशुपालकों का सामजिक–आर्थिक विकास किये जाने का प्रावधान है, अपितु इन जिलों की ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाकर उनका सर्वांगीण विकास भी किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह [7]

एक के लिए सब, सब एक के लिएश के सिद्धान्त पर रची गई स्वयं सहायता समूह योजना का उद्देश्य गांवों की गरीब महिलाओं को उनके द्वारा आसानी से की गई बचत से उन्हीं की सहायता करना है। प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाली इस योजना में भागीदार बनकर महिलाएं बचत, सहयोग, स्वावलम्बन की वृत्तियों का विकास करती हैं और बैंक नाबार्ड द्वारा उपलब्ध ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने वास्तविक जरुरतों को पूरा करने के अवसर प्राप्त करती है। इस योजना में उत्पादन व उपभोग दोनों के लिये आकस्मिक ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस हेतु महिला विकास अभिकरणों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह समान रुप से गरीब तबके की महिलाओं का स्वेच्छा से बनाया हुआ होता है। एक समूह के सभी सदस्याएं अपनी आय में से बचत जमा कर कोष बनाती है। राशि उतनी ही जमा करायी जाती है। जिसे वे आसानी से समान रुप से बचत कर सकती है। इस कोष में से आपसी विचार–विमर्श के बाद आवश्यकता अनुरुप सदस्याओं को ऋण के रुप में देने का निर्णय करते है। निर्णय पूरे समूह की सहमति से सबके सामने बैठक में किया जाता है।

किशोर बालिका योजना 'लाडली ' [8]

सामाजिक एवं जन विकास के अन्य पहलुओं में इस बात पर विचार किया गया है कि किशोर आयु में प्रवेष करने वाली बालिकाओं में सामान्य व्यावहारिक ज्ञान, साक्षरता की ओर ध्यान देने से बहुत – सी समस्याओं का निदान हो सकता है। घरेलू उत्पादनों मे सुधार, बाल एवं मातृ दर में कमी, टीकाकरण आदि में पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सक्षम तथा जागरुक बालिकाएं ही समाज के विकास में योगदान दे सकती है। इस सोच को मूर्त रुप देने हेतु महिला विकास अभिकरणों के माध्यम से किशोर बालिकाओं के लिए एक विशिष्ट योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1998–99 में राज्य के समस्त जिलों में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि किशोरियों का सामाजिक विकास उनकी आवश्यकताओं एवं कुशलताओं के अनुरुप हो सकें, बालिकाएं अपने हितों का भविष्य में स्वयं निर्धारण कर सके।

योजना के तहत् दो आयु समूहों 11–14 वर्ष एवं 15–18 वर्ष को लिया गया है। प्रारम्भ में पृथक्–पृथक् प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें एक बालिका मण्डल में संयुक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक गांव में जन जागृति अभियान, समुदाय एवं संरक्षकों में गहन सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करने हेतु कार्य किया जाता है। बालिका शिविर एवं मेले आयोजित किये जाते है। बालिकाओं के संगठित होने के पश्चात् औपचारिक बालिका मण्डलों का गठन किया जाता है। बालिकाओं का व्यावहारिक एवं आर्थिक स्वावलम्बन हेतु एक 6 माह का प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे गैर–परम्परागत कार्यो के साथ–साथ कुछ अभिनव क्षेत्रों, यथा–कृषि में नवीन प्रयोग, बागवानी, हैण्डपम्प ठीक करना, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि की प्रारम्भिक जानकारी दी जाती है। योजनान्तर्गत प्रति जिला 600 बालिकाओं के हिसाब से 18600 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

एकीकृत जनसंख्या व विकास परियोजना (आई.पी.डी.) [9]

एकीकृत जनसंख्या व विकास परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के प्रायोजक यू.एन.एफ.पी.ए. हैं। इस हेतु 669.52 लाख रुपए का प्रावधान है। परियोजना का तीन–चौथाई हिस्सा विशेष तौर पर प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा गया है। जबकि शेष एक–चौथाई भाग महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से गतिविधियों के संचालन हेतु रखा गया है। इस कार्यक्रम, संयुक्त प्रशिक्षण (तीन विभागों के कर्मचारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग) स्वयं सहायता समूह के उन्नयन की गतिविधियां संपादित की जा रही है। यह परियोजना राज्य के सात जिलों में प्रारम्भ की गई जो निम्नलिखित है –

1. अलवर 2. भरतपुर 3. भीलवाड़ा 4. सवाईमाधोपुर 5. करौली 6. उदयपुर 7. चितौड़गढ।

इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है–

संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक जिले को इस कार्यक्रम के संचालन हेतु 3.07 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत 195 संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन हो चुके हैं तथा शेष प्रशिक्षण प्रगति पर है।

किशोर बालिका कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम संचालन हेतु सभी सात जिलों में स्वयं सेवी संस्थान का चयन, तीन–तीन ब्लॉकों एवं प्रेरकों का चयन किया गया है तथा एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्य भी किया गया है। सभी जिलों मे कार्यक्रम प्रगति पर है।

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

स्वयं सहायता समूह के उन्नयन हेतु अलवर एवं भरतपुर जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं एवं नाबार्ड आदि के माध्यम से कार्यक्रमकिया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन माह फरवरी 2001 में किया गया है। सम्बन्धित जिलों में ब्लॉक्स कर चयन कर उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

महिला संदर्भ केन्द्र

इस परियोजना के तहत एक राज्य स्तरीय महिला संदर्भ केन्द्र की स्थापना की गई है। महिला एवं

विकास विभाग के अन्तर्गत गठित सोसायटी फॉर कनवर्जेन्ट एक्शन तथा एच.सी.एम.रीपा. के मध्य हस्ताक्षरित इकरारनामे के तहत इसका गठन किया गया है।

महिला संदर्भ केन्द्र

राजस्थान में महिलाओं के विकास हेतु एक संस्थान केन्द्र/संस्था के रुप में इसकी परिकल्पना की गई है। राजस्थान सहकारिता पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत यह केन्द्र हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर का अभिन्न अंग है, जो कि एक स्वायत्त संस्थान की भांति कार्य करेगा। यह केन्द्र महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त एक शीर्ष विकल्प के रुप में जेन्डर विषय शोध, प्रशिक्षण, प्रलेखन एवं जानकारी प्रसार आदि का कार्य करेगा। इस केन्द्र के माध्यम से महिला विकास कार्यक्रम के सुदृढीकरण के अतिरिक्त महिलाओं को विकास कार्यक्रमों मे सक्रिय भागीदार के रुप में भाग लेने हेतु एवं वातावरण भी तैयार करने का प्रयास किया जा सकेगा।

महिला संदर्भ केन्द्र की महिलाओं से सम्बन्ध सभी विषयों का अध्ययन एवं उन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, राज्य में नीति–निर्माताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन, जेन्डर संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना आदि इस केन्द्र की प्राथमिकता होगी, जिसके परिणामस्वरुप केन्द्र इस विषय पर केन्द्रीय संसाधन के रुप में कार्य करेगी।

महिला संदर्भ केन्द्र निम्नांकित चार क्षेत्रों में केन्द्रीभूत होगा –

1. जेण्डर प्रशिक्षण 2. प्रलेखन व जानकारी प्रसार
3. शोधन व विश्लेषण 4. अधिव्यक्ता

एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना (स्वयंसिद्धा–आई. डब्ल्यू.ई.पी.) [10]

प्रदेश की महिलाओं में आर्थिक सवायत्तत्ता लाने तथा उनके विकास के लिए अन्तरविभागीय सेवाओं में समन्वय एवं जागरुकता के उद्देश्य से राज्य में इंदिरा महिला योजना सन् 1995 में केन्द्र सरकार के सहयोग से आरम्भ की गई। इसे अब स्वयंसिद्धा योजना के नाम से जाना जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं के प्रति जागृति पैदा करना, उनका लाभ उठाने हेतु उन्हें शिक्षित करना तथा आय उपार्जित करने की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा तथा जागरुकता के लिए एक अनवरत प्रक्रिया का विकास करना है। राज्य के 26 जिलों के 30 बाल विकास परियोजना खण्डों में स्वयं सिद्धा ब्लॉक्स सोसायटी का गठन किया जाकर 2,900 महिला समूह गठित किए जा चुके है।

महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवास योजना

तेज गति से हो रहे शहरीकरण, औद्योगीकरण, निर्वाह व्यय मे बढ़ोतरी, संयुक्त परिवारों के विघटन, वैवाहिक विवाद एवं भावनात्मक अशांति के कारण पीड़ित महिलाएं सुरक्षित आश्रय मार्गदर्शन, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत राज्य में नौ अल्पकालीन आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं।

इन आवास गृहों में वेश्यावृति के लिए मजबूर, पारिवारिक तनाव, असामंजस्य, वैवाहिक विवाद, बलात्कार की शिकार व मानसिक रुप से अविकसित 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की युवतियों एवं उनके साथ आने वाले बच्चो को आवास की व्यवस्था की जाती है। आवास गृहों के संचालन भोजन, वस्त्र, चिकित्सा प्रशिक्षण एवं मनोचिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को भवन किराए, चिकित्सा व्यय, आवासनियों के निर्वाह, पुनर्वास एवं अल्प व्यय हेतु धनराशि वार्षिक रुप से सीधे ही उपलब्ध कराई जाती है।

जनमंगल योजना (जनमंगल जोड़े) [11]

अन्तराल साधनों की जानकारी, उनके उपयोग के तरीके, उनसे लाभ व हानि तथा दुष्प्रभावों की जानकारी उन्हीं के समुदाय के लोगों के माध्यम से पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 1992–93 से राज्य के दो जिलों अलवर एवं उदयपुर में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से प्रारम्भ की गई। जनमंगल योजना के अन्तर्गत दम्पतियों को समुचित जानकारी प्रदान कर उन्हें जनमंगल जोड़े का नाम दिया जाता है। ये जनमंगल जोड़े योग्य दम्पतियों को अन्तराल साधनों की समुचित साधनों की जानकारी प्रदान कर परिवार कल्याण साधन उपलब्ध करवाते हैं। ये जनमंगल जोड़े गांव में गर्भनिरोधक डिपो का कार्य भी करते है।

जननी सुरक्षा योजना [12]

निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना का 1 अप्रैल, 2005 में प्रारम्भ किया गया। पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (नेशनल मेटरनिटी बेनीफिट स्कीम) का स्थान लिया है। मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ लागू की गई इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के समय दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की बीपीएल परिवारों की महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए 700/–रुपए की नकद सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन गांव स्तर पर चयनित 'आशा' (स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और एएनएम की सहायता से किया जाएगा। इसके लिए आशा को प्रति प्रसव 600/– रुपये दिये जाएंगे। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का एक घटक है।

1. बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिला को 500 रुपए की आर्थिक सहायता।
2. संस्थागत प्रसव पर ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए और शहरी क्षेत्र में 100 रुपए अतिरिक्त।
3. योजना दो बच्चों तक के लिए है।
4. तीसरे बच्चे पर सहायता उसी स्थिति में जब महिला प्रसव के तुरन्त बाद नसबंदी कराए।
5. जहां सरकारी स्तर पर सिजेरियन प्रसव की सुविधा नहीं है, वहां निजी अस्पतालों में प्रसव और इसके बदले 1500/–रुपए का भुगतान।

6. योजना की मॉनीटरिंग के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी।

आशा (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) [13]

आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य संरक्षण का आधारभूत ढांचा विकसित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की कमी दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर मिशन का गठन किया जाएगा तथा स्थानीय मांग के अनुसार जनस्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

मिशन के तहत प्रत्येक गांव में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रुप में आशा का चयन किया जाएगा। आशा स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के द्वार तक पहुंचाएगी। गांव की किसी पढ़ी–लिखी महिला को आशा बनाया जाएगा, जिसकी पूरे गांव की गर्भवती महिलाओं की देखरेख और टीकाकरण के साथ स्वच्छता का ध्यान रखकर बीमारियों से बचाव की जानकारी देने की जिम्मेदारी होगी। सरपंच गांव की किसी भी आठवीं से दसवीं पास महिला को इस कार्य के लिए रख व हटा सकेगा।

आशा को कोई वेतन देय नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक गर्भवती, टीकाकरण अथवा बीमारी की सेवा (बीमारदारी) के लिए उसे प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लगभग एक माह के प्रशिक्षण के बाद आशा को छोटी–मोटी बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएगी। गम्भीर रुप से बीमार व्यक्ति को निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाने की जिम्मेदारी भी आशा की होगी।

बालिका समृद्धि योजना [14]

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बालिकाओं की स्कूल के प्रवेश दर में वृद्धि करना एवं अप्रत्यक्ष रुप से बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के साथ–साथ बालिका हत्या की प्रवृति को हतोत्साहित करना है ताकि बालिकाओं के समग्र स्तर को उन्नत एवं विकसित किया जा सके।

यह योजना 2 अक्टूबर, 1997 को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रुप में प्रारमभ की गयी थी। इस योजनान्तर्गत 15 अगस्त, 1997 के बाद गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में बालिका के जन्म के अवसर पर अधिकतम 2 बालिकाओं पर माता को 500/– रुपये की राशि देने का प्रावधान है। यह राशि ग्राम पंचायत /स्वायत्त संस्था के माध्यम से निर्मुक्त की जा रही हैं। इस योजना का निष्पादन जिला ग्रामीण/महिला विकास अभिकरणों तथा संचालन ग्राम पंचायतों/ नगरपालिकाओं/जिला परिषदों के माध्यम से किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर तथा शहरी क्षेत्रों मे निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के माध्यम से किया जा रहा है।

बालिका समृद्धि योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त दिशा – निर्देशों के अनुसार 500/– रुपये की राशि बालिका के नाम खोले गये खाते में जमा करायी जाती है। बालिका के स्कूल जाना प्रारम्भ करने पर कक्षा 1 से 10 तक उसे 300/– रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है। उक्त खाते में देय राशि का उपयोग बालिका की पाठ्य पुस्तकों एवं यूनिफार्म की खरीद पर की जा सकती है। कोई नकद राशि देय नहीं है।

शिशु पालना गृह [15]

राज्य में ग्रामीण कामकाजी महिलाओं के बच्चों को दैनिक देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु शिशु पालना गृह चलाये जा रहे है। विभाग द्वारा वर्तमान में 18 जिलों में 274 शिशु पालना गृह संचालित किये जा रहे है। इनके माध्यम से ग्रामीण कामकाजी महिलाओं के 7 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की दैनिक देखभाल, चिकित्सकीय सुविधा तथा बच्चों के लालन–पालन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन शिशु पालन गृह के संचालन हेतु गृह पर एक धाय मां और एक परिचारिका रखी गई है, जिनकी योग्यता क्रमशः आठवीं एवं पांचवी पास निर्धारित की गई है। इनका चयन ग्राम की महिलाओं द्वारा महिला सभा के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में 274 केचों के माध्यम से 7,068 बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

स्वावलम्बन योजना [16]

स्वावलम्बन योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा एवं परित्यक्ताओं महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं को स्वरोजगार तक ले जाने के लिए फांलोअप/हैंड होल्डिंग भी कराई जाती है।

महिलाओं की आय वृद्वि एवं रोजगार की योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करने की योजना गैर सरकारी संगठनो के द्वारा संचालित है।

स्वावलम्बन योजना अब तक भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती रही थी। अब यह योजना राज्य सरकार को हस्तान्तरित हो गयी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके लिए इन क्षेत्रों मे रोजगार सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2007 तक 59 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 48.00 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है जिसके माध्यम से लगभग 3000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।

अन्तर्विभागीय समन्वयन एवं क्लस्टर गठन [17]

अन्तर्विभागीय समन्वयन के माध्यम से अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों को डेयरी, हस्तशिल्प एवं कृषि कार्य मे संलग्न कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर

करने के लिए तीन उपसमूह क्रमशः गोधन/शिल्पी/ग्राम्या का गठन किया गया है।

गोधन उपसमूह में RCDF पशुपालन विभाग एवं गो सेवा संघ को सदस्य बनाया गया है।

शिल्पी उपसमूह में कमिश्नर हैण्डीक्राफ्ट, रुडा , राजसीको, उद्योग विभाग को सदस्य बनाया गया है।

ग्राम्या उपसमूह में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विपणन बोर्ड को सदस्य बनाया गया है। ग्राम्या उपसमूह अन्तर्गत 6 कलस्टर क्रमशः मेरी गोल्ड (अलवर) आंवला (चौंमू) टमाटर,मिर्ची (बस्सी), गुलाब, गुलकन्द (पुष्कर), अदरक हल्दी (बांसवाड़ा, डूंगरपुर) में चिन्हित किये गये हैं। इन क्लस्टर्स में कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को उत्पाद गुणवत्ता उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ मार्केटिंग में सहयोग किया जा रहा है।

महिला स्वयं सहायता समूह उत्पादन विपणन में विभाग की पहल

महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को मार्केटिंग नेटवर्क उपलब्ध करवाने एवं इनकी बिक्री को सुगम करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा समय –समय पर विशाल बिक्री मेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर विशाल बिक्री मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के समस्त जिलों की स्टॉल्स लगाकर उत्पादों की बिक्री करवाई जाती है। इसी के साथ विभिन्न जिलों मे होने वाले मेलों मे भी उत्पादों की बिक्री करवाई जाती है। अन्य विभागों द्वारा आयोजित मेलों में विभागीय समूहों को निःशुल्क स्टॉल का आवंटन करवाया जा रहा है।

राज्य में प्रायोजित सभी मेलों में आर्टिजन्स को भोजन सप्लाई/कच्ची रसोई का कार्य भी विभाग की महिला एवं सहायता समूहों को दिलवाने हेतु भी कार्य किया जा रहा है।

महिला समूहों को स्थानीय मार्केट में अपने उत्पादों की सुगमता से बिक्री करने एवं उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के सन्दर्भ में प्रति सप्ताह जिला स्तर पर SHG हाट बाजार प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

संभाग स्तरीय SHG रिसोर्स सेंटर

महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन, डिजाइन डाइवरसिफिकेशन, बाजार उपलब्ध करवाने, लिंकेज की सुविधाएं आदि प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर रिसोर्स SHG सेंटर्स की स्थापना की गई है। उक्त रिसोर्स सेंटर स्वयं सहायता समूहों के समस्त प्रकार के प्रशिक्षणों आदि का कार्य कर रहे है। प्रत्येक रिसोर्स सेंटर पर एक–एक गतिविधि को मुख्य आधार मानकर उस क्षेत्र के महिला SHG हेतु विभिन्न दक्षता एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने प्रस्तावित है।

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना [18]

राजस्थान मे मातृ और शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का शुभारम्भ 12 सितम्बर 2011 से किया गया। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से लागू राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरु की है। यह मात्र एक योजना ही नहीं है, अपितु इसके माध्यम से प्रसूताओं एवं शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया है।

केन्द्र सरकार के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ राज्य के सभी 33 जिलों में किया जा रहा है। योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रसव कराने पर प्रसव का पूरा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद 6 हफ्ते तक और बीमार नवजात शिशुओं को एक माह तक सभी दवाएं और खाना–पीना मुफ्त मुहैया कराया जाएगा।

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में सभी प्रसूताओं को राजकीय चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर प्रसव सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रसूताओं को संस्थागत प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव, दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री, सभी प्रकार की जांच सुविधाएं, गर्म भोजन, रक्त सुविधा, रेफरल ट्रांसपोर्ट आदि सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

बीमार नवजात शिशुओं के लिए इलाज, दवाइयां, अन्य आवश्यक सामग्री, जांच सुविधाएं, रक्त सुविधा और रेफरल ट्रांसपोर्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसव हेतु महिलाओं एवं 30 दिवस तक नवजात शिशुओं को घर से चिकित्सा संस्थान एवं आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा संस्थान से उच्च चिकित्सा संस्थान तक आने–जाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रसूताओं एवं शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया है।

विदित है कि सामाजिक सुरक्षा बहुआयामी अवधारणा है जो समाज के वंचित वर्ग को विशेषतः महिलाओं को आकस्मिक विपत्तियों, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी इत्यादि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा संचालित महिला कल्याण नीतियां एवं योजनाएं महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रदेश में वर्ष 1984 से महिला विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से महिला सुरक्षा एवं विकास के अन्तर्गत और इसके अलावा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक उन्नयन की दृष्टि से सरकार द्वारा अनेक नीतियां क्रियान्वितकी जा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संवैधानिक दृष्टि से उनके हितों का संरक्षित एवं समुन्नत करने की दिशा में 15 मई,1999 में से राजस्थान राज्य महिला आयोग कार्यरत है। साथ ही प्रदेश मे महिलाओं तथा बालिकाओं की स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार करने, शोषणवादी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया, पद्धतियों एवं तंत्र को गतिशील तैयार करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा 8 मार्च, 2000 को राज्य में महिला नीति की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वंय सहायता समूह, स्वयंसिद्धा योजना, जननी सुरक्षा योजना, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना आदि अनेक राज्य द्वारा संचालित योजनाएं है, जिनके द्वारा जरुरतमन्द महिलाओं को न केवल वास्तविक लाभ मिल रहा है बल्कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक,

राजनीतिक, शैक्षणिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन आने के साथ–साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *वर्मा मुकेश कुमार, भूमंडलीकरण के दौर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ1–2*
2. *महिला चेतना योजना, 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
3. *महिला शक्ति अवार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
4. *महिला राजगीर योजना, जिला महिला विकास अभिकरण एक रिपोर्ट*
5. *महिलाओं की आयवृद्धि एवं रोजगार की योजना (नौराड़), 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
6. *महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
7. *स्वयं सहायता समूह, 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
8. *किशोर बालिका योजना (लाडली योजना), 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
9. *एकीकृत जनसंख्या एवं विकास योजना, 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
10. *एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना, 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
11. *जनमंगल योजना, परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर*
12. *जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर*
13. *आशा, प्रषासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति रिपोर्टश्ए 2009–10, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
14. *वर्मा मुकेश कुमार, भूमंण्डलीकरण के दौर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर पृष्ठ 257–261*
15. *जेण्डर संवेदनशील बजटिंग, 'महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर*
16. *राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, राजस्थान सरकार, जयपुर*